न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई०ए०एस०

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
02/2020	धारा 212 RTA	14.01.2020	22.09.2020

1. अफरीनबानो पुत्री अब्दुलहकीम जाति मुसलमान उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. अमरीन बैहलीम पुत्री अब्दुलहकीम जाति मुसलमान उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. अब्दुलअजीम बैहलीम पुत्र अब्दुलहकीम जाति मुसलमान उम्र 15 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये प्राकृतिक पिता अब्दुलहाकिम बैहलीम
4. आदिल पुत्र मो. साबिर उम्र 2 वर्ष जाति मुसलमान निवासी हिलाल मस्जिद के पास, वार्ड नं. 30 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये माता शबनमबानो पत्नी मो. साबिर जाति मुसलमान निवासी हिलाल मस्जिद के पास, वार्ड नं. 30 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोहम्मदजाविद कुरैशी पुत्र मो. सलीम कुरैशी जाति कुरैशी मुसलमान उम्र वर्ष निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. मोहम्मदसमीर कुरैशी पुत्र मो. सलीम कुरैशी जाति कुरैशी मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. मोहम्मदजुबेर पुत्र उस्मानगनी जाति मुसलमान व्यापारी निवासी वार्ड नं. 20 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी सान्ताक्रुज वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. सुबेदौलत पत्नी मो. हाकिम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 09 रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. मो. साबिर पुत्र यासीन जाति मुसलमान निवासी हिलाल मस्जिद के पास, वार्ड नं. 30, चूरू (राज.)
4. मोहम्मदसलीम पुत्र यासीन जाति मुसलमान कसाई निवासी वार्ड नं. 30, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री ... प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री ... धीरेन्द्रसिंह अप्रार्थी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त अनुवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पूर्ण उम्मीद है। यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 948 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 959 तादादी 14 बीघा कुल किता 2 कुल तादादी 25 बीघा 10 विश्वा वाके रोही चूरू में स्थित है जो पूर्व में प्रार्थीगण के दादा के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रही है जो विरासतन प्रार्थीगण के पितागण के खाते में आई है। यह कि प्रार्थीगण के दादा/नाना का स्वर्गवस हो चुका है तथा उपरोक्त कृषि भूमि विरासतन प्रार्थी सं. 1 ता 3 की माता सुबेदौलत का 21.25 हिस्सा, प्रार्थी सं. 4 के पिता मो. साबिर के 21.25 हिस्सा व प्रार्थी सं. 5 व 6 के पिता मो. सलीम के 21.25 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। इस प्रकार इस भूमि में प्रार्थीगण के माता/पिता के हिस्से में उपरोक्तानुसार इस भूमि में खातेदारी की रही है। यह कि प्रार्थीगण के पिता ने उपहार पत्र दिनांक 12.05.2017 जो उप पंजीयन कार्यालय चूरू में पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 429 में पृष्ठ सं. 36 कम सं. 201703337101584 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1439 के पृष्ठ सं. 134 से 140 पर चस्पा किया गया है, के जरिये अप्रार्थी सं. 1 मोहम्मदजुबेर को उपहार कर दी। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता के पास विरासतन नाना/दादा के स्वर्गवास के पश्चात् प्राप्त हुई है, इसलिये प्रार्थी सं. 1 ता 3 का अपनी माता की भूमि में 3/4, 3/4, 3/4 हिस्सा अवस्थित है तथा प्रार्थी सं. 4 का अपने पिता अप्रार्थी सं. 3 के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा व प्रार्थी सं. 5 व 6 का अप्रार्थी सं. 4 के हिस्से की भूमि में 2/3, 2/3 हिस्सा खातेदारी का है, जिसे घोषित करवाने के लिये ही दावा प्रस्तुत किया जा चुका है।

यह कि उपरोक्त उपहार पत्र दिनांक 12.05.2017 में प्रार्थी सं. 1 ता 3 की माता ने अपने 21.25 हिस्सा कृषि भूमि में से 16.25 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 ने अपने 21.25 हिस्सा में से 16.25 हिस्सा तथा प्रार्थी सं. 5 ता 6 के पिता मो. सलीम ने 2.50 हिस्सा को अप्रार्थी सं. 1 मोहम्मदजुबेर के पक्ष में उपहार कर दिया है जबकि उनको सम्पूर्ण हिस्से को उपहार करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह कृषि भूमि नाना/दादा से विरासत में आई थी इसलिए प्रार्थीगण का भी अपने माता/पिता के हिस्से में आई भूमि में प्रार्थी सं. 1 ता 3/4, 3/4 हिस्सा, प्रार्थी सं. 4 का अपने पिता के हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्सा व प्रार्थी सं. 5 व 6 का अपने पिता अप्रार्थी सं. 4 के हिस्से की भूमि में 2/3, 2/3 हिस्सा था, इसलिये उक्त हिस्से में से प्रार्थीगण के हक की हद तक यह उपहार पत्र शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के लिये दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 959 तादादी 14 बीघा रोही चूरू का अब विभाजन हो चुका है जो कई खसरों में विभाजित होकर अब नये खसरा नम्बर 2821/959, 2822/959, 2823/959, 2824/959, 2825/959, 2826/959, 2827/959, 2828/959, 2829/959, 2830/959 तादादी कमशः 0.1700, 0.2687, 0.1739, 0.1699, 0.2569, 0.4031, 0.7588, 0.7588, 0.3380, 0.2529 हैक्टेयर हो गये हैं जिनमें से प्रार्थीगण को उनका हिस्सा दिलवाया जाना न्यायोचित है।

यह कि उपहार पत्र से अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी होने के पश्चात् उसने इस कृषि भूमि को प्लाटों के [illegible] विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है तथा अब भूमि का समतलीकरण कर [illegible] के रूप में विक्रीत की जा रही है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण का मुकाब[illegible] अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है तथा भूमि खरीद फरोख्त के कारोबार से जुड़े है। इसलिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को रोका जाना आवश्यक है कि वे उक्त कृषि भू[illegible] को विक्रय, रहन, व्यय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है तथा अपने हिस्से की कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त होने से सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमियों को विक्रय किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तिनिय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि – वो विवादित कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 948 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 959 तादादी 14 बीघा के नये खसरा नम्बर 2821/959, 2822/959, 2823/959, 2824/959, 2825/959, 2826/959, 2827/959, 2828/959, 2829/959, 2830/959 तादादी क्रमशः 0.1700, 0.2687, 0.1739, 0.1699, 0.2569, 0.4031, 0.7588, 0.7588, 0.3380, 0.2529 हैक्टेयर कुल तादादी 25 बीघा 10 विश्वा वाके रोही चूरू में स्थित है, में प्रार्थीगण की भूमि के हिस्सा में प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा नहीं डालें, ना डलवाये, ना उसे रहन, बैय, मुन्तकिल या विक्रय करे। ऐसा कोई कार्य या उपकार्य नहीं करें जो प्रार्थीगण के हितों के खिलाफ हो।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति को होने से अन्तरिम निषेधाज्ञा का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का दिनांक 14.01.2020 को जारी किया गया कि वादगत कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 948 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा, खसरा नम्बर 959 तादादी 14 बीघा के नये खसरा नम्बर 2821/959, 2822/959, 2823/959, 2824/959, 2825/959, 2826/959, 2827/959, 2828/959, 2829/959, 2830/959 तादादी क्रमशः 0.1700, 0.2687, 0.1739, 0.1699, 0.2569, 0.4031, 0.7588, 0.7588, 0.3380, 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही चूरू तहसील चूरू में प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण वसूली (रोड़ा एक्ट), रास्ता विवाद, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होने का आदेश जारी किया गया। अप्रार्थीगण को रजि. डाक के सम्मन जारी किये गये परन्तु तलबी प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् कोविड–19 के संक्रमण के चलते दिनांक 22.03.2020 को लॉकडाउन घोषित होने से कोर्ट कार्य स्थगित हो गया।

दिनांक 04.09.2020 को वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व सुनवाई में ली गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय छाया चित्र पेश कर निवेदन किया कि इस स्थगन प्रार्थना पत्र में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया हुआ है, जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 जुबेर खान द्वारा मौका स्थिति में परविर्तन किया जा रहा है। भूमि का समतलीकरण कर रोड़ बिछाई जा रही है तथा प्लॉट काटने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक [illegible] 2020 को संशोधित कर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का [illegible] हो गया है। अतः पत्रावली आज की पेशी में ली जाकर आदेश दिनांक [illegible] 2020 को संशोधित कर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कि[illegible] जावे। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्रार्थना पत्र के संलग्न छाया चित्रों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन करने एवं बहस के तथ्यों पर मनन करने पर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दृष्टया अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद वादगत कृषि भूमि में मौके पर समतलीकरण कर सड़क निर्माण एवं प्लॉटिंग किया जाना प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.01.2020 में संशोधन किया जाकर संशोधित अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया गया कि वादगत कृषि भूमि वाके रोही चूरू में प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली तलबी में लम्बित रही। नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री पवन शर्मा एडवोकेट व श्री धीरेन्द्रसिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में वर्णितानुसार माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने के तथ्य से इन्कारी नहीं, मगर प्रार्थीगण की ओर से दायर किया गया वाद मिथ्या एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से उसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की उम्मीद होना तो दूर तनिक मात्र भी गुंजाईश नहीं है। प्रा.पत्र में वर्णित भूमि खसरा सं. 948 एवं 959 प्रार्थीगण के पूर्वज चान्दू के नाम से होने के तथ्य से इन्कारी नहीं है। प्रार्थीगण के पिता का वादगत भूमि विरासत में बतौर खातदारी आने के तथ्य से भी इन्कारी नहीं है। प्रार्थी सं. 1 से 3 के नाना व प्रार्थी सं. 4 से 6 के दादा यासीन का इन्तकाल हो जाने के तथ्य से इन्कारी नहीं है। प्रार्थीगण के नाना व दादा स्व. यासीन का वादगत कृषि भूमियों में 1/16 हिस्सा था इस हिस्से से अधिक हिस्सा यदि राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है तो वह सही नहीं है। प्रार्थी सं. 1 से 3 की माता श्रीमती सुबेदौलत पुत्री यासीन तथा प्रार्थी सं. 4 के पिता मोहम्मदसाबिर एवं प्रार्थी सं. 5 व 6 के पिता मोहम्मदसलीम ने दिनांक 12.05.2017 के पंजीकृत उपहार पत्र से अपना अपना जो हिस्सा वादगत कृषि भूमि में बनता था वह हिस्सा अप्रार्थ्र्थी मोहम्मदजुबेर के पक्ष में उपहार में देकर अप्रार्थी सं. 1 को अपनी अपनी हिस्से की कृषि भूमि का मालिक व स्वामी बना दिया था इस कारण से वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीगण की माता एवं पिता का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं बनता है। चरण सं. 4 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार किये जाते है। इस बाबत विधिक स्थिति का पूर्ण विवरण अतिरिक्त कथनों में अंकित किया जा रहा है।

यह कि प्रा0पत्र के चरण सं. 5 में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार किये जाते है। श्रीमती सुबेदौलत एवं साबिर द्वारा राजस्व अभिलेख में वर्णित किये अनुसार जो हिस्सा बनता था वह समस्त हिस्सा उन्होंने अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में उपहार कर दिया है जिसके वह कानूनन अधिकारी थे। चूंकि वादगत एवं प्रा0पत्र के समस्त पक्षकार मुस्लिम समुदाय के होने से मुस्लिम विधि से शासित होते हैं इस कारण से शरीयत के मुताबिक प्रार्थीगण को अपने पिता/माता की खातेदारी व काश्तकारी की कृषि भूमि में उनके जीवनकाल में किसी भी प्रकार का कोई हक, हिस्सा या अधिकार मांगने का विधिक अधिकार नहीं है और जब प्रार्थीगण को वादगत कृषि भूमि में हिस्सा मांगने का कोई [illegible] अधिकार ही नही तो उन्हें दस्तावेज उपहार पत्र पंजीकृत दिनांकित 12.05.2017 को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने का भी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वा[illegible] तादादी 14 बीघा वर्तमान में कई खसरों में विभाजित हो चुका है मगर प्रार्थीगण के बता[illegible]अनुसार मांगा जाने वाला हिस्सा न तो कानूनन दिलाया जा सकता है और न ही उनको कोई हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार ही प्राप्त है। अप्रार्थी जुबेर वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि का अपने हिस्से का एकमात्र काबिज खातेदार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

काश्तकार एवं मालिक है इस कारण अपने हिस्से की भूमि को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने तथा व्ययन करने का विधिक अधिकार प्राप्त है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने लालच के वशीभूत मिथ्या कहानी के आधार पर यह वाद दायर कर निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है जिसके पीछे अप्रार्थी मोहम्मद जुबेर को तंग परेशान करके तथा मुकदमेबाजी में उलझाये रखकर नाजायज राशि हड़पने व वसूल करने का ही दुर्भाविक आशय है। प्रार्थीगण के पक्ष में न तो कोई प्रथम दृष्टया बनता है और न ही सुविधा का सन्तुलन अथवा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उनके पक्ष में है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं और प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रकरण के पक्षकारान मुस्लिम धर्म के अनुयायी है और मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार एवं शरीयत कानून के तहत प्रत्येक खातेदार काश्तकार अथवा सम्पत्ति के स्वामी के जीवनकाल में उनके पुत्र पुत्रियों अथवा उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा नहीं बनता है और खातेदार काश्तकार व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का एकमात्र मालिक होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार को कोई हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि जब उन्हें उत्तराधिकार में कोई सम्पत्ति प्राप्त ही नहीं होती है तो हक, हिस्सा व अधिकार मांगने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थीगण ने विधि के विपरीत जाकर अधिकारों की घोषणा का मिथ्या तथ्यों का यह वाद संस्थित कर अन्तरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या आधारों की कार्यवाही करके अप्रार्थीगण को नाहक मुकदमेबाजी में फंसाकर उनकी सम्पत्ति के वैध अधिकारों को चुनौती देकर सम्पत्ति के उपयोग व उपभोग तथा व्ययन करने के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर माननीय न्यायालय को मुगालते में रखकर एवं सही एवं वास्तविक तथ्य छिपाकर एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त की है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसलिए प्रार्थीगण की कार्यवाही 100000/– रू0 के हर्जे व खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी यह तथ्य काबिले गौर है कि प्रार्थीगण का नाम न तो राजस्व अभिलेख में है और न ही मुस्लिम विधि के तहत उनका अपने तथाकथित बताये गये मिथ्या अधिकारों को कोई विधिक प्रावधान ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एवं जब प्रथम दृष्टया मामली ही नहीं बनता है तो सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति कि बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में कानूनन नहीं बन सकते हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ऊपर वर्णितानुसार खर्चे सहित अस्वीकार कर खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 1 ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थीगण ने बहस हेतु समय चाहा। वकील प्रार्थी को समय दिया गया। अप्रार्थी सं. 2 पर स्वयं पर तामील होने एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के सम्मन इन्कार [illegible] होने पर तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय समय में अप्रार्थी सं. 2 से [illegible] बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर [illegible] खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 948 तादादी 11 बीघा 10 विश्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नम्बर 959 तादादी 14 बीघा के नये खसरा नम्बर 2821/959, 2822/959, 2823/959, 2824/959, 2825/959, 2826/959, 2827/959, 2828/959, 2829/959, 2830/959 तादादी क्रमशः 0.1700, 0.2687, 0.1739, 0.1699, 0.2569, 0.4031, 0.7588, 0.7588, 0.3380, 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही चूरू की कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण हक हिस्सा व अधिकार रखते हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की माता/पिता ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में उपहार पत्र कर दिया जबकि उक्त कृषि भूमि पैतृक होने से प्रार्थी का भी हक हिस्सा था इसलिए उक्त उपहार पत्र वैध नहीं है। हमने अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद संस्थित कर रखा है जो जेरकार है। अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम गलत दर्ज खातेदारी का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि का समतलीकरण व प्लॉटिंग कर अन्य लोगों को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। अगर वह अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वाद बहुलता बढेगी। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया म'मला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब कथनों का दोहराव करते हुए जाहिर किया कि इस प्रकरण के समस्त पक्षकार मुस्लिम समुदाय के हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पिता व पति के जीवनकाल में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में पत्नी एवं बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उत्तराधिकार केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है, उसके जीवनकाल में नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 52 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए अप्रार्थी सं. 2 से 4 को अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि का अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में करवाया गया उपहार पत्र वैध एवं कानून सम्मत है। उक्त उपहार पत्र के जरिये वादगत कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है जिसको किसी अन्य को रहन, विक्रय करने का अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी अधिकार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष का ना होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है तो अप्रार्थी सं. को अपूर्तिय क्षति होगी। अतः अपने माता/पिता के जीवनकाल में प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक अधिकार के पेश दावा व प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने बहस कथनों के समर्थन में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्याय VI उत्तराधिकार – सामान्य नियम 52 Birth-right not recognised. की प्रति पेश की।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए पुनः कथन किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरी[illegible]केशन एक्ट 1937 की धारा 2 के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति की सम्पत्ति[illegible] पर्सनल लॉ के अनुसार शासित होते हैं तथा उत्तराधिकार व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व [illegible] है परन्तु कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रश्नों को इससे अलग रखा गया है। मुस्लिम पर्सनल [illegible] कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। वकील प्रार्थीगण ने बहस कथनों के समर्थन में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की प्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाना व दादा की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि रही है जिनके स्वर्गवास के बाद यह भूमि प्रार्थीगण की माता सुबेदौलत व पितागण अप्रार्थी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण की माता व पिताओं द्वारा करवाये गये उपहार पत्र दिनांक 12.05.2017 के जरिये अधिकांश भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम जमाबन्दी में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण ने अपने दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर पैतृक कृषि भूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने एवं उपहार पत्र को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण द्वारा पेश छायाचित्रों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि का समतलीकरण किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। दूसरी तरफ अप्रार्थी सं. 2 से 3 को प्रकरण की विधिवत सूचना होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं तथा उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 ने प्रकरण के समस्त पक्षकारों का मुस्लिम धर्म का होने से माता व पिता के मौजूद रहते उनके जीवनकाल में प्रार्थीगण को अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना बताते हुए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्याय VI उत्तराधिकार – सामान्य नियम 52 Birth-right not recognised. का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि "The right of an heir-apparent or presumptive comes into existence for the first time on the death of the ancestor, and he is not entitled until then to any interest in the property to which he would succeed as an heir if he survived the ancestor (c)." उक्त न्यायिक उद्धरण के अनुसार मुस्लिम विधि में किसी पूर्वज की मृत्यु के पूर्व कोई व्यक्ति उसकी सम्पत्ति में अधिकार नहीं रखता।

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि "Notwithstanding any customs or usage to the contrary, in all questions (save questiions relating to agriculture land) regarding intestate succession, special property of females, including personal."

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की है तथा प्रार्थीगण मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं। यह सही है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति की सम्पत्ति में उसके वारिसान को उसके जीवनकाल में कोई उत्तराधिकार हासिल नहीं होते परन्तु वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रश्नों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों से अलग रखा गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उठाई गई आपत्ति एक कानूनी बिन्दु है जिसका विनिश्चय मूल दावा में पर्याप्त साक्ष्य सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद ही होना है जो कि इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। वर्तमान में वादगत कृषि भूमि का अधिकांश भाग अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी में अंकित चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थी द्वारा समतलीकरण कर सड़क निर्माण किया जाना परिलक्षित हो रहा है जिससे अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। इसलिए वादगत कृषि भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाने, अकृषि उपयोग को रोकने हेतु एवं दौराने सुनवाई दावा किसी तरह की पेचीदगी एवं वाद बहुलता नहीं बढे इसके लिए अप्रार्थी सं. 1 को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना यह न्यायालय उचित मानता है क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष का होने से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.01.2020 एवं संशोधित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 04.09.2020 को ता फैसला दावा पुष्ट किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अभिषेक खन्ना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:57 IST
Reason: SelfAttested